

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, झंझारपुर

Email- floodcontroldivision1jpp@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या -01/2026-27

पत्रांक410...../

झंझारपुर,

दिनांक 01/04/2026

कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, झंझारपुर तथा बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल झंझारपुर/भीठभगवानपुर/फुलपरास अन्तर्गत/कटाव निरोधक कार्य/तटबंध सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्य हेतु भाड़े पर (बोलेरो/सुमो/स्कॉरपियो समकक्ष) के उपयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार के वर्तमान अनुसूचित दर पर अथवा अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा द्वारा स्वीकृत दर पर इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :-

अवधि निम्नवत है :-

| क्रमांक | अवधि | वाहन की संख्या |
|---------|--------------------------|----------------|
| 1 | 01.04.2026 से 31.05.2026 | 3 अदद |
| 2 | 01.06.2026 से 31.10.2026 | 4 अदद |
| 3 | 01.11.2026 से 31.03.2027 | 3 अदद |

नियम एवं शर्तें निम्नवत है:-

1. भाड़े पर वाहन दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख-रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मत, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदुषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरुद्ध किराया प्रति दिन ईंधन रहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

10. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाने वाला उद्धृत दर अनुसूची सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित दर से अधिक नहीं होगा अथवा न्यूनतम कोटेड दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।
11. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रति दिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना सूचना के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा 1000 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रतिलिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।
13. वाहन मालिक/फर्म का वैद्य GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
14. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
15. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
16. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
17. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
18. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 1 से 17 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 15.04.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 16.04.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, झंझारपुर के कार्यालय में खोला जाएगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
19. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने एवं एक से ज्यादा न्यूनतम समानदर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैद्य कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जाएगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता को मोबाईल और ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
20. कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 तथा 13 के कागजात एवं शपथ पत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जाएगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में कार्यालय कक्ष, सूचना पट्ट अथवा अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष संख्या 7463889833 पर संपर्क किया जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1, झंझारपुर

पत्रांक५१०...../

झंझारपुर

दिनांक...०१.../...०५.../2026

प्रतिलिपि:—सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
अनुलग्नक :-Soft Copy (PDF and M.S Word)

कार्यपालक अभियंता

बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-1,झंझारपुर